

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैंक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 826/N.O.C-81/बस्ती/2019

दिनांक : 23-10-2019

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद-बस्ती।

विषय:-मेसर्स न्यू रिटेल आउटलेट(हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0), ग्राम-बड़हरकला, परगना-अमोढ़ा, अयोध्या-बस्ती रोड, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती के गाटा सं0-381 पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय अपने पत्रांक सं0-97(4)/आयुध लिपिक दिनांक 15.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से मेसर्स न्यू रिटेल आउटलेट(हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0), ग्राम - बड़हरकला, परगना-अमोढ़ा, अयोध्या-बस्ती रोड, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती के गाटा सं0-381 पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु चाही गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में इस कार्यालय से अनापत्ति आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के संदर्भ में पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.10.2019 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते समय निम्नलिखित शर्तों को आरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है-

1. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाय कि आस-पास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
2. पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक मू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाय।
3. पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मददेनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निशमन विभाग के गाइड लाइन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आस-पास आबादी विकसित होने पर रोक लगायी जाये।
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
5. घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये।
6. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रेषण का निस्तारण न किया जाये।
7. पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
8. पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्डस वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैंडलिंग एण्ड ट्रान्स बाउन्ड्री मूवमेन्ट्स), रूल्स 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट आफ हैजार्डस केमिकल रूल्स, 1989 एवं पब्लिक लाइबिलिटी इन्श्योरेंस एक्ट, 1991 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बड़बन, बस्ती-272001

Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.com

9. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 16किली० पेट्रोल(एम०एस०) एवं 79किली० डीजल ऑयल(एच०एस०डी०) के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
10. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाय।
11. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डिकेटर लगाया जाये।
12. डी०जी० सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य श्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये।
13. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
14. पेट्रोल पम्प द्वारा सभी सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक आन साइड डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
15. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये।
16. पेट्रोल पम्प पर वाहनो के पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि राजमार्ग का सामान्य यातायात बाधित न हो।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय)

क्षेत्रीय अधिकारी

Sanjay Kumar
16/12/19
Sanjay Kumar
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

मेसर्स न्यू रिटेल आउटलेट(हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०), ग्राम-बड़हरकला, परगना-अमोढ़ा, अयोध्या-बस्ती रोड, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती के गाटा सं०-381 पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निरीक्षण आख्या।

आपके आदेशानुसार कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र सं०-97(4)/आयुध लिपिक दिनांक 15.10.2019 के अनुपालन में उक्त प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 22.10.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय पेट्रोल पम्प प्रतिनिधि के रूप में श्री राजमणि तिवारी उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

1. उक्त प्रस्तावित पेट्रोल पम्प मेसर्स न्यू रिटेल आउटलेट(हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०), ग्राम-बड़हरकला, परगना-अमोढ़ा, अयोध्या-बस्ती रोड, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती के गाटा सं०-381 पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित स्थल के पूरब दिशा में एन०एच०-27 लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग तत्पश्चात् लगभग 1.50 किमी० की दूरी पर ग्राम-बेलाड़े, पश्चिम दिशा में लगभग 1.50किमी० की दूरी पर ग्राम-बड़हरकला, उत्तर दिशा में लगभग 1.50किमी० की दूरी पर ग्राम-सिसई एवं तथा दक्षिण दिशा में लगभग 2किमी० की दूरी पर ग्राम-बड़हर खुर्द स्थित है।
3. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प में जल का प्रयोग केवल घरेलू प्रयोजनार्थ ही किया जायेगा। घरेलू प्रयोग से जनित होने वाले उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक व सोकपिट की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
4. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प 15के०वी०ए० क्षमता का एक अदद कैनोपी युक्त डी०जी० सेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिससे संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानको के अनुरूप रखा जाना प्रस्तावित है।
5. कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र सं०-97(4)/आयुध लिपिक दिनांक 15.10.2019 के साथ संलग्नक के रूप में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, एच०पी०सी०एल०, प्रशान्त टावर्स(भूतल), महेवा चुंगी, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर द्वारा निर्गत अथारिटी लेटर/लेटर ऑफ इन्टेन्ट, स्थल की खतौनी, स्थल का किरायानामा/लीज की प्रति एवं मानचित्र प्रेषित किया गया है।
6. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प द्वारा जनित स्थल पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों की दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते समय निम्नलिखित शर्तों को आरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है-

1. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाय कि आस-पास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
2. पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाय।
3. पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निशमन विभाग के गाइड लाइन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आस-पास आबादी विकसित होने पर रोक लगायी जाये।
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
5. घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये।
6. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।
7. पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।


16/12/19
Sanjay Kumar
Duly Constituted Agency
Hindustan Petroleum Corporation Limited

NROHP HINDUSTAN Petroleum, Basti

8. पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्डस वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैंडलिंग एण्ड ट्रान्स बाउन्ड्री मूवमेन्ट्स), रूल्स 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट आफ हैजार्डस केमिकल रूल्स, 1989 एवं पब्लिक लाइबिलिटी इन्श्योरेन्स एक्ट, 1991 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
9. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 16किली0 पेट्रोल(एम0एस0) एवं 79किली0 डीजल ऑयल(एच0एस0डी0) के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
10. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाय।
11. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये।
12. डी0जी0 सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य श्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये।
13. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
14. पेट्रोल पम्प द्वारा सभी सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक आन साइड डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
15. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये।
16. पेट्रोल पम्प पर वाहनो के पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि राजमार्ग का सामान्य यातायात बाधित न हो।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

R. K. Singh
23/10/19
(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक

A. K. Singh
22.10.19
(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

Sanjay Kumar
23/10/2019

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Sanjay Kumar
23/10/19

Sanjay Kumar
16/12/19
Sanjay Kumar
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited